भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2411
(जिसका उत्तर सोमवार, दिनांक 03 अगस्त, 2026/12 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाना है)

फिरोजाबाद के कांच और चूड़ी उद्योग से संबंधित एमएसएमई पर वित्तीय संकट

2411. श्री अक्षय यादव:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने माल और सेवा कर (जीएसटी) अनुपालन तथा इनपुट-टैक्स क्रेडिट संबंधी मौजूदा बाधाओं के साथ-साथ मार्च, 2026 से गैस आपूर्ति में की गई कटौती के कारण फिरोजाबाद के कांच और चूड़ी उद्योग से संबंधित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के समक्ष उत्पन्न हुए दोहरे वित्तीय संकट का आकलन किया है;

(ख) क्या जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर को वापस लिए जाने से फिरोजाबाद जैसे संकटग्रस्त कलस्टरों को राज्य-स्तरीय राहत देने की उत्तर प्रदेश की राजकोषीय क्षमता प्रभावित हुई है;

(ग) विगत दो वर्षों के दौरान फिरोजाबाद के एमएसएमई को स्वीकृत की गई मुद्रा, स्टैंड-अप इंडिया और सीजीटीएमएसई – गारंटीकृत ऋण सुविधाओं की संख्या कितनी है तथा क्या गैस संकट से प्रभावित ईकाईयों के लिए ऋण-पुनर्गठन विंडो शुरू की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;और

(घ) क्या सरकार ने बाह्य आपूर्ति व्यवधानों से प्रभावित ऊर्जा की अत्यधिक आवश्यकता वाले एमएसएमई क्लस्टरों के लिए किसी ब्याज अनुदान या अधिस्थगन योजना का प्रस्ताव किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क) फिरोजाबाद के कांच और चूड़ी के एमएसएमई में जीएसटी अनुपालन और इनपुट टैक्स क्रेडिट पर कोई बाध्यता नहीं है। इसके अतिरिक्त, फिरोजाबाद ताज ट्रेपेज़ियम ज़ोन भौगोलिक क्षेत्र का हिस्सा है, जिसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) द्वारा वर्ष 2011 में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) नेटवर्क के विकास के लिए गेल गैस लिमिटेड को अधिकृत किया गया था।मार्च 2026 से पहले और बाद में गैस आपूर्ति की स्थिति निम्नानुसार है:-

	औद्योगिक (एससीमडी)	वाणिज्यिक (एससीमडी)	सीएनजी (किलो.)/दिन	सीएनजी (एससीमडी)
फरवरी-2026 में प्रतिदिन गैस की औसत आपूर्ति	13,48,078.57	205	61,342.77	89,560.44
मार्च-2026 में प्रतिदिन गैस की औसत आपूर्ति (10 मार्च 2026 तक)	10,83,037.10		54,294.09	79,269.37
मार्च-2026 में प्रतिदिन गैस की औसत आपूर्ति (11 मार्च-2026 से 31 मार्च 2026 तक)	9,52,565.00	170	57,627.34	84,135.91
जुलाई 2026, 29.07.2026 तक औसतन	12,52,749.72		59,104.83	86,293.05

(ख) संवैधानिक जनादेश के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2022-23 (अप्रैल-जून, 2022) तक पांच वर्षों की अवधि के लिए 01.07.2017 से माल और सेवा कर (जीएसटी) के कार्यान्वयन के कारण राजस्व के नुकसान की भरपाई के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर जारी किया गया था।

(ग) एमएसएमई मंत्रालय, एमएसएमईडी अधिनियम 2006 के तहत उल्लिखित सभी क्रियाकलापों के लिए सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) को प्रदान की जाने वाली ऋण सुविधाओं हेतु गारंटी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, 'सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट' (सीजीटीएमएसई) के माध्यम से 'क्रेडिट गारंटी योजना' (सीजीएस) को कार्यान्वित करता है। जिला फिरोजाबाद में सूक्ष्म और लघु उद्यमों को दी गई गारंटी का विवरण इस प्रकार है:

सी.जी.एस.- स्वीकृत गारंटी - फिरोजाबाद		
	स्वीकृत गारंटियों की संख्या	स्वीकृत राशि (करोड़ रुपये में)
वित्तीय वर्ष 2024-25	5,365	279.50
वित्तीय वर्ष 2025-26	5,333	347.71

(घ) एमएसएमई मंत्रालय देश भर में सूक्ष्म और लघु उद्यम समूह विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) का कार्यान्वयन कर रहा है। इस योजना को वर्ष 2003 में शुरु किया गया था। यह केंद्रीय क्षेत्र योजना है । यह मांग संचालित योजना है जिसमें राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से उनके राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में मौजूदा समूहों की सामान्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त होते हैं।
